



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

4 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 236 राँची, सोमवार,

24 अप्रैल, 2023 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

20 मार्च, 2023

**संख्या-5/आरोप-1-87/2019-19673 (HRMS)--**श्री अभय कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-567/20, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4568, दिनांक 16.12.2019 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-276/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 21.12.2019 द्वारा आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया- (i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रखण्ड नौडिहा-बाजार अन्तर्गत नावाटांड पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा फर्जी आवास की स्वीकृति तथा अवैध राशि निकासी का शिकायत प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को शिकायतकर्ता श्री अमरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा समर्पित किया गया। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत का अवर सचिव के अध्यक्षता में श्री रोशन पाट पिंगुआ Consultant- SR&CE expert एवं श्री शुर्वेदु सिंघा Training Expert-SPMU द्वारा स्थलीय जाँच में लगाये गये आरोप के बिन्दु

पर आरोप सही पाया गया। नावाटांड पंचायत के नौडिहा ग्राम का लाभुक का नाम SECC डाटा में करकट्टा पंचायत के नावाडीहा ग्राम में तकनीकी त्रुटि के कारण परिलक्षित थी तथा इस तकनीकी त्रुटि का फायदा उठाते हुए SECC डाटा पंचायत नावाटांड के सही लाभुक के आई०डी० का गलत उपयोग कर निबंधन किया गया तथा सही लाभुक के स्थान पर पंचायत करकट्टा के नावाडीहा ग्राम के फर्जी लाभुक का बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेज लगाकर आवास योजना कि राशि फर्जी लाभुक के खाता में हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार फर्जी लाभुक के खाता में लगभग 32.70 लाख रुपये राशि का हस्तांतरण हुआ है।

(ii) अभिलेख के अनुसार लाभुक सरयू सिंह, पिता/पति मदोदर सिंह JH2410115 एवं राजेश्वरी देवी, पिता/पति द्वारिका साव, JH1873136 की मृत्यु लगभग 07 वर्ष पूर्व हो चुकी है परन्तु उनके नाम से भी फर्जी कागजात के आधार पर मृत लाभुक का निबंधन कर प्रथम किस्त की राशि 40000/- प्रति आवास का फर्जी निकासी किया गया।

(iii) शिकायतकर्ता श्री अमरेश श्रीवास्तव एवं नावाटांड पंचायत के मुखिया श्रीमती वीणा देवी द्वारा विभागीय जाँच दल को बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडिहा बाजार को इस तकनीकी त्रुटि को मौखिक/लिखित रूप से कई बार संज्ञान में दिया गया अर्थात् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस तकनीकी त्रुटि की जानकारी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान SECC डाटा के अनुसार सभी गाँव को सही पंचायत के अंदर आवास सॉफ्ट में मैपिंग किया जाना था। अगर किसी पंचायत में किसी गाँव का गलत मैपिंग हो गया तो इसे पुनः सही पंचायत में मैपिंग करने का अनुरोध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए था। इसमें कोई तकनीकी बाधा नहीं थी। परन्तु उन्होंने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की तथा जिला को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दिया, इस त्रुटि को छुपाया गया। अगर करकट्टा पंचायत में परिलक्षित हो रहे नौडीहा गाँव को नावाटांड में री-मैपिंग कर दिया जाता तो यह फर्जीवाड़ा उसी समय समाप्त हो जाता। परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मुखिया पति रामबली पासवान के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से 32.40 लाख रुपये सरकारी राशि का फर्जीवाड़ा किया गया।

(iv) विभागीय जाँच दल को ज्ञात हुआ कि जाँच दल के आने के दो दिन पूर्व 20.09.2019 को करकट्टा पंचायत के नावाडीहा गाँव के लाभुकों के दस्तावेज में मुखिया पति रामबली पासवान की उपस्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दबाव देकर कर्मियों से हस्ताक्षर कराया गया। करकट्टा पंचायत के नावाडीहा गाँव में फर्जी लाभुकों के जाँच के क्रम में जाँच के पूर्व पंचायत के बाहर लगभग 100-150 की संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडा के साथ जाँच को प्रभावित करने के लिए तैयार थे। पुलिस बल को साथ ले जाने के उपरांत जाँच किया जा सका। जाँच के दौरान पाया गया कि सभी ग्रामीण गाँव से बाहर भाग चुके हैं, ताकि जाँच दल के समक्ष उन्हें प्रस्तुत होना न पड़े। कुछ ग्रामीण से मुलकात हुई परन्तु किसी ने भी अपने परिवार का आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखाया। लाभुक को जाँच दल के समक्ष क्या बोलना है, कितना बोलना है यह सिखाया गया है।

इससे स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मुखिया पति से मिलकर विभागीय जाँच को प्रभावित करने का सुनियोजित तरीके से प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाया गया ।

(v) नावाटांड पंचायत के नौडीहा ग्राम के सही लाभुकों के नाम से करकट्टा पंचायत के फर्जी लाभुकों का आवास बनाया गया है। इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के जानकारी में नौडीहा ग्राम के लाभुकों के आधार कार्ड एवं बैंक खाता को स्कैन कराते हुए फर्जी कागजात तैयार किया गया तथा इस फर्जी कागजात के आधार पर नौडीहा ग्राम के लाभुको के नाम से आवास सॉफ्ट में पंजीकरण किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराया गया एवं यह अनियमितता की गयी। इनका यह कृत्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों पर इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-12910(hrms), दिनांक 24.12.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-207, दिनांक 16.11.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप सं०-1, 2, 3 एवं 5 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1682, दिनांक 15.03.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। श्री कुमार के पत्र, दिनांक 31.08.2022 एवं दिनांक 23.09.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा एवं द्वितीय पूरक कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। श्री कुमार के पत्र, दिनांक 31.08.2022 में निम्न तथ्य प्रतिवेदित किया गया-

“उनके द्वारा सभी आरोपों का बिन्दुवार जवाब दिया गया है तथा आरोपों का सतही होना प्रमाणित है। उक्त पत्र के कंडिका-02 में विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने से संबंधित संकल्प का उल्लेख है इसलिए इसपर टिप्पणी वांछित नहीं है लेकिन एक बात सुस्पष्ट है कि तथ्यों के भूल पर आधारित आरोपों के विरुद्ध संकल्प निर्गत है। कंडिका-03 में प्रपत्र-‘क’ में अभिलिखित आरोप 01, 02, 03 एवं 05 के आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाए जाने का उल्लेख किया गया है जबकि जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य की कमी का स्पष्ट उल्लेख है तथा उनके द्वारा किए गए किसी भी कर्तव्य निर्वहन को अवैध नहीं बताया गया है अपितु कुछ तकनीकी त्रुटि अंकित की गई है। उन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन पूर्ण मनोयोग से किया है तथा सरकारी राशि को संरक्षित रखने हेतु कार्य किया है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा उनके स्पष्टीकरण को सहानुभूतिपूर्वक विचारण हेतु अनुसंधान की गयी है। कंडिका-04 उनके विरुद्ध तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने हेतु दण्ड प्रस्तावित किया गया है। इस पर इनका कहना है कि ये राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के

पदाधिकारी हैं। नौडीहा बाजार पलामू के पदस्थापन काल में उनकी सेवा का प्रारंभिक समय था, इसलिए तकनीकी चूक हो सकती है। तथापि उनकी मनसा एवं कार्यशैली कभी भी दूषित नहीं रही है, इसलिए प्रस्तावित दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य के अभाव में दंड दिया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत हैं।”

श्री कुमार के पूरक द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 23.09.2022 में निम्न तथ्य प्रतिवेदित हैं। -

(क) उन पर लगाये गये आरोप निराधार, असत्य एवं अस्वीकार्य है।

(ख) पूर्व स्पष्टीकरण में उनके द्वारा सभी आरोपों का बिन्दुवार जवाब साक्ष्य सहित दिया गया है तथा लगाये गये आरोपों का असत्य होना प्रमाणित है।

(ग) उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-01, 02, 03, एवं 05 को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने का उल्लेख किया गया है। जबकि जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य की कमी का स्पष्ट उल्लेख है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरोप को पूर्णरूपेण प्रमाणित करने का दायित्व अभियोजन विभाग की होती है तथा संदेह का लाभ अपचारी को प्रदान किया जाता है। वर्तमान मामलों में गठित आरोप उनके ऊपर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है अपितु प्रस्तोता पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट स्वीकार्योक्ति है कि साक्ष्य के अभाव में उनके बचाव बयान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

(घ) उपस्थापन पदाधिकारी के पत्रांक-717/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 27.07.2021 द्वारा समर्पित तथ्य एवं मन्तव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य एवं मन्तव्य से भिन्न है। अतः उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मन्तव्य/Presentation of Facts का संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख एवं अभिलिखित न होने से एक बात सुस्पष्ट है कि तथ्यों के भूल पर आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है एवं जाँच प्रतिवेदन के निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

(ङ) विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में गठित आरोप सं०-04 के प्रमाणित नहीं होने से शेष प्रतिवेदित आरोप के मंशा एवं प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है साथ ही एक बात सुस्पष्ट है कि तथ्यों के भूल पर आधारित आरोपों के विरुद्ध संकल्प निर्गत है।

(च) उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य का सही परिपेक्ष में आकलन नहीं किया गया है, अपितु इसकी उपेक्षा की गई है। आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान को सही तरीके से अंकित नहीं करना तथा इसकी उपेक्षा करना Procedural facts को दर्शाता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जिस आधार पर आरोप सं०-01, 02, 03 एवं 05 को प्रमाणित किया गया है, वो बिल्कुल ही असत्य एवं अस्वीकार्य योग्य है। उपरोक्त आरोपों के खण्डन हेतु उनके द्वारा समर्पित तथ्य निम्नवत् है-

आरोप सं०-01 का बचाव बयान- विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में सुस्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए अंकित किया गया है कि SECC Data एवं आवास सॉफ्ट में तकनीकी त्रुटी की वजह से करकड़ा पंचायत के नावाडीह गाँव में प्रधानमंत्री आवास बनाये गये हैं। इस बात

को गठित आरोप एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में भी स्वीकारा गया है तथा विभागीय जाँच दल द्वारा भौतिक रूप से पाया गया है ।

SECC Data एवं आवास सॉफ्ट में तकनीकी त्रुटी यह थी कि एक ही नाम का गाँव (नावाडीह) होने के कारण करकट्टा नावाडीह के SECC Data में किसी दूसरे जिला/प्रखण्ड/पंचायत नावाडीह के कुछ लाभुक आ गये थे। जिसका नाम करकट्टा नावाडीह में परिलक्षित होने के कारण करकट्टा नावाडीह के योग्य लाभुकों का आवास बनवाया गया है। अतः उल्लेख करना है कि आवास नियमतः करकट्टा पंचायत के नावाडीह का बनना था। इसलिए नियमतः करकट्टा के नावाडीह में ही ग्राम सभा द्वारा लाभुक का चयन किया गया एवं भौतिक रूप से आवास बनवाया गया है। यह किसी योजना में फर्जीवाड़ा या विचलन नहीं, अपितु तकनीकी चूक है, जिसे संचालन पदाधिकारी भी अपने जाँच प्रतिवेदन में स्वीकार करते हैं। नावाटांड नावाडीह के कुछ लोग जिनका आवास करकट्टा नौडीहा में बना, वैसे सभी लोगों का जाँचोपरांत खाता होल्ड करते हुए राज्य नोडल खाता में राशि जमा किया गया और वर्तमान में रिमैपिंग कर आवास बनवाया गया है। ऐसी तकनीकी चूक एवं SECC Data में त्रुटी पूरे झारखण्ड राज्य के कमोबेश सभी जिला में देखी गई है एवं ग्राम सभा के निर्णय उपरांत आवास बनवाया गया है परंतु इस मामले को मुखिया पति द्वारा पूर्वाग्रह एवं दूराग्रह से ग्रसित होकर राजनैतिक रूप देते हुए षड़यंत्र रचा गया है ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्गत राशि को राज्य नोडल खाता में जमा करने के कारण उनको दोषी माना गया है। जबकि इस कार्य से इन्होंने अपने अनुशासित, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अधीन कार्यरत अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन करने वाले कर्तव्य परायण पदाधिकारी का परिचय दिया है। जाँचोपरांत वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, पलामू के सतत् निदेशानुसार तथा विभागीय आदेश के अनुपालन में विहित प्रक्रिया अंतर्गत लाभुक के बैंक खाता को अविलंब होल्ड कर राज्य नोडल खाते में जमा कराया गया था। यदि खाता की राशि को होल्ड करते हुए राज्य नोडल खाता में जमा नहीं किया जाता तो यह वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना होती और इन्हें अनुशासनहीनता का घोटक माना जाता। फलतः आवास की राशि को राज्य नोडल खाता में हस्तांतरित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा तथ्य परख टिप्पणी नहीं की गई है ।

आरोप सं०-02 का बचाव बयान- संचालन पदाधिकारी द्वारा गलत तथ्य बिना किसी साक्ष्य के प्रस्तुत किया गया है ।

(i) उक्त आरोप के संदर्भ में उल्लेखित है कि उपरोक्त नाम से आवास करकट्टा के नावाडीह में निर्मित है और आवास पाने वाले लाभुक करकट्टा नावाडीह में जीवित है SECC Data करकट्टा नावाडीह में परिलक्षित होने के कारण करकट्टा नौडीहा के लाभुक का ग्राम सभा द्वारा चयन किया गया जो जीवित है ।

(ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा राजेश्वरी देवी पिता/पति- दवारिका साव, जिसका PMAY ID/निबंधन सं०-jh1873136 है को प्रस्तुत करते हुए राशि हस्तांतरण की बात कही गई है एवं बताया गया है कि इनकी मृत्यु सात वर्ष पूर्व हो चुकी है। जबकि विभाग जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच

प्रतिवेदन एवं परिवादी द्वारा समर्पित शिकायत में सुस्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राजेश्वरी देवी जिनका निधन सात वर्ष पूर्व हो चुका है उनका PMAY ID / निबंधन सं०-jh1809902 है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्य से सुस्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तथ्यों की भूल पर आधारित है एवं जाँच प्रतिवेदन में विरोधाभाष पैदा करता है।

(iii) विभाग जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्रमांक-03 में सुस्पष्ट रूप से अंकित है कि सरयु सिंह पिता/पति- मदोदर सिंह जिनकी मृत्यु हुई है उनका PMAY ID/ निबंधन सं०-jh2410017 है। अतः सही लाभुक जिनका आवास बना वे करकट्टा नौडिहा में है। मृत व्यक्ति का ढिंढोरा पिटकर मुखिया पति द्वारा इनको बदनाम करने का षडयंत्र है, फलस्वरूप लगाया गया आरोप निराधार है। चूंकि समुचित राशि राज्य नोडल खाता में जमा है एवं रिमैपिंग होकर आवास निर्माणाधीन है। अतः निर्दोष होना प्रमाणित है।

आरोप सं०-03 का बचाव बयान- उपर्युक्त तकनीकी त्रुटी की जानकारी उनको थी, इस बात का कोई साक्ष्य संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित नहीं किया गया है। अपितु नावाटांड पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस तकनीकी त्रुटी की जानकारी उन्हें एवं नावाटांड पंचायत कार्यकारणी को नहीं थी। नावाटांड पंचायत के मुखिया श्रीमती वीणा देवी द्वारा जाँच दल को समर्पित तथाकथित फर्जी पत्र जुलाई-2019, जाँच दल के स्थल भ्रमण माह-सितंबर- 2019 के कुछ दिवस पूर्व का है, जबकि निर्माण वित्तीय वर्ष-2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 में हुआ है। यदि नावाटांड पंचायत के मुखिया द्वारा दी गई तथाकथित जानकारी (तकनीकी त्रुटी संबंधी) उनके स्तर से छुपाया गया होता तो इस शिकायत की जानकारी उनके वरीय अधिकारी को जिला में भी दी जा सकती थी परंतु मुखिया पति द्वारा ऐसा नहीं किया गया। प्रश्नगत आरोप मुखिया पति परिवादी द्वारा अपनी राजनीति चमकाने तथा झूठा आरोप लगाने का कुग्रसित प्रयास है। Remapping का कार्य वर्ष- 2015, 2016 एवं 2017 में पूर्ण कराया गया था जबकि उक्त प्रखण्ड में उनकी सेवा काल का प्रथम पदस्थापन कार्यकाल माह-अगस्त-2017 से प्रारंभ हुआ था इस संदर्भ में उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मन्तव्य भी उनको पक्ष को संपुष्ट करता है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी जब संबंधित पंचायत कर्मी, ग्राम सभा एवं कार्यकारणी को नहीं थी तो उनके संज्ञान में रहने संबंधी बात एवं रिमैपिंग का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस संदर्भ में लंबे समय से न तो उनको न ही जिला को किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन दिया गया था। अतः उपरोक्त आरोप का ना तो कोई साक्ष्य है ना ही कोई आधार है फलतः उनका निर्दोष होना प्रमाणित है ।

आरोप सं० 05 का बचाव बयान- संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित आरोप सं०-05 के मन्तव्य निष्कर्ष में उपस्थापन पदाधिकारी के मन्तव्य को अंकित किया गया है, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा फर्जी दस्तावेज, आधार/खाता तैयार कराने संबंधी साक्ष्य के अभाव को दर्शाया गया है एवं उनके बचाव बयान को विचारणीय बताया गया है। ऑनलाईन निबंधन SECC Data के अनुसार होता है, इसलिए आवास सॉफ्ट में तकनीकी त्रुटी के वजह से करकट्टा के नौडीहा के लाभुकों का आवास बना। इसमें किसी प्रकार का कोई फर्जी कागजात प्रखण्ड स्तर से तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि निबंधन एक ऑनलाईन प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार के फर्जी कागजात बनाने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञात हो कि लाभुक का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है एवं पंचायत स्तर से आवास का लाभ दिया जाता है। इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की काफी

सीमित भूमिका है। आवास की अंतिम स्वीकृति एवं खाते का जाँच (Sanctioned with verified account) उप विकास आयुक्त के स्तर से होता है। चूँकि आवास सॉफ्ट एवं SECC Data में तकनीकी त्रुटी थी इसलिए उनके एवं उप विकास आयुक्त, पलामू के संज्ञान में भी नहीं आ सकी। नावाटांड पंचायत के नौडीहा ग्राम का आवास करकट्टा पंचायत के नौडीहा में बनने के कारण संचालन पदाधिकारी आवास सॉफ्ट एवं SECC Data में तकनीकी त्रुटी को दोषी ना मानते हुए उनको दोषी मानते हैं। जबकि आरोप एवं जाँच प्रतिवेदन में सुस्पष्ट रूप से अंकित है कि SECC Data एवं आवास सॉफ्ट में तकनीकी त्रुटी के कारण करकट्टा पंचायत के नौडीहा ग्राम में SECC Data में परिलक्षित लाभुकों का आवास बनाया गया है। पंचायत करकट्टा के SECC Data में करकट्टा नावाडीह के ही लाभुक का होना अपेक्षित है इसलिए उस SECC Data में दूसरे जिला/प्रखण्ड/पंचायत के लाभुक का नाम की प्रविष्टि होना अस्वभाविक है एवं उनको इसका पता होने का प्रश्न ही नहीं है और उस प्रविष्टि से यदि कोई तकनीकी त्रुटी हुई है या आवास सॉफ्ट में दोष है, तो उनको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। फलतः उनके विरुद्ध लगाये गए आरोप संख्या- 05 प्रमाणित नहीं होता है ।

(छ) उनके विरुद्ध संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 14(iv) के अंतर्गत तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड प्रस्तावित किया गया है। ये राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग का कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं। उनकी मंशा एवं कार्यशैली कभी-भी दूषित नहीं रही है। तथ्य की भूल एवं साक्ष्य के अभाव में दंड दिया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने के कारण प्रस्तावित दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। Honourable Supreme court has examined “Let hundred guilty be acquitted but one innocent should not be punished”

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोप सं0-01, 02, 03 एवं 05 प्रमाणित है। उक्त प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि नावाटांड पंचायत के नौडीहा ग्राम के लाभुकों का नाम SECC Data में करकट्टा पंचायत के नवडीहा गांव में प्रविष्टि थी। नावाटांड पंचायत के नौडीहा ग्राम के लाभुकों का आवास न बनकर यह करकट्टा पंचायत के नवडीहा ग्राम के लाभुकों का बन गया ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अनुसार लाभुकों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की काफी सीमित भूमिका है। आवास की अंतिम स्वीकृति एवं खाते की जाँच उप विकास आयुक्त के स्तर से होता है। चूँकि आवास सॉफ्ट एवं SECC Data में तकनीकी त्रुटि थी, इसलिए यह उनके एवं उप विकास आयुक्त, पलामू के संज्ञान में नहीं आ सकी।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पत्रांक-287, दिनांक 29.06.2020 द्वारा करकट्टा पंचायत के नवडीहा ग्राम के लाभुकों के खाते में हस्तांतरित राशि 18.70 लाख रुपये वसूली करते हुए राज्य नोडल खाता में चेक सं0-581011 द्वारा जमा कर दिया गया है। यह प्रमाणित करता है कि गलत लाभुकों को भुगतान की गई राशि वसूली करने की कार्रवाई की गई है ।

स्पष्ट है कि SECC Data में गलत प्रविष्टि होने के कारण ही नावाटांड पंचायत के नौडीहा ग्राम के लाभुकों के स्थान पर उक्त आवास का लाभ करकड़ा पंचायत के नवडीहा ग्राम के लाभुकों को दिया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अभय कुमार, झांप्र०से०, (पंचम बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू संप्रति- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवीपुर, देवघर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर विचार करते हुए पूर्व में प्रस्तावित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक” को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | ABHAY KUMAR<br>110037710581 | श्री अभय कुमार, झांप्र०से०, (पंचम बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू संप्रति- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवीपुर, देवघर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर विचार करते हुए पूर्व में प्रस्तावित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक” को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अभय कुमार, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**रंजीत कुमार लाल,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601

-----